न्यूज़ टुडे

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों (Regional Rural Banks: RRBs) को केंद्र से विनियामकीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 670 करोड़ रुपये प्राप्त हुए

- **RRBs के पुनर्पूंजीकरण की वर्तमान योजना** के अनुसार, केंद्र सरकार, संबंधित राज्य सरकारों और प्रायोजक बैंकों द्वारा क्रमशः 50:15:35 के अनुपात में RRBs को पूंजी सहायता प्रदान की जाती है।
  - इसका उद्देश्य उन्हें 9% की **जोखिम भारित आस्तियों से पूंजी अनुपात (Capital-to-Risk weighted Assets Ratio:CRAR)** की विनियामकीय आवश्यकता को पूर्ण करने में सक्षम बनाना है।
  - CRAR किसी **बैंक की जोखिम भारित आस्तियों एवं वर्तमान देनदारियों के संबंध में उसकी पूँजी का अनुपात होता है।**
- RRBs वे वित्तीय संस्थान हैं, जो **कृषि और अन्य ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पर्याप्त ऋण सुनिश्चित करते हैं।**
  - RRBs को **अपने कुल ऋण का 75% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को उपलब्ध** करवाना होता है, जिसमें कृषि ऋण को प्रमुखता दिए जाने के साथ–साथ लघु और सीमांत कृषक, सूक्ष्म उद्यमी एवं ग्रामीण शिल्पी भी लाभार्थी के रूप में शामिल होते हैं।
  - इन्हें **नरसिम्हन कार्य समूह (वर्ष 1975) की अनुशंसाओं के आधार पर और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम, 1976 (Regional Rural Banks Act, 1976)** के अधिनियमन के उपरांत स्थापित किया गया था।
  - प्रथम RRB वर्ष 1975 में स्थापित **"प्रथमा ग्रामीण बैंक"** था।
- **RRBs द्वारा सामना किए जा रहे मुद्दे:** ऋण के लिए अत्यधिक आवेदनों की समस्या, प्रधान कार्यालय (Head Office) द्वारा शाखाओं पर प्रभावी नियंत्रण का अत्यधिक कठिन होना आदि।

कोयला खदानों की नीलामी का अंतिम चरण 2 नवंबर से आरंभ हो रहा है:

- यह प्रथम बार है, जब **सरकार द्वारा निजी कंपनियों के समक्ष कोयला खदानों के वाणिज्यिक विक्रय का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा रहा है।**
  - कोयला मंत्रालय द्वारा नीलामी के लिए 38 कोयला ब्लॉक्स प्रस्तुत किए गए थे और कंपनियों ने 19 ब्लॉकों हेतु अपनी रुचि प्रकट की है।
- इससे पूर्व, सरकार द्वारा **खान और खनिज (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1957** {Mines and Minerals (Development and Regulation) Act, 1957 (MMDR Act)} तथा **कोयला खान (विशेष प्रावधान) अधिनियम, 2015** {Coal Mines (Special Provisions) Act, 2015, (CMSP Act)} में संशोधन करने हेतु **खनिज विधि (संशोधन) अधिनियम, 2020 {Mineral Laws (Amendment) Act, 2020}** अधिनियमित किया गया था। इसके माध्यम से वाणिज्यिक नीलामी प्रक्रिया आरंभ की गई थी।
  - MMDR अधिनियम भारत में समग्र खनन क्षेत्र को विनियमित करता है। **CMSP अधिनियम उन खानों की नीलामी और आवंटन का प्रावधान करता है, जिनका आवंटन वर्ष 2014 में उच्चतम न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया था।**
  - CMSP अधिनियम लागू करने से पूर्व, कोयले की खानों का नीलामी के माध्यम से कभी आवंटन नहीं किया गया था। पहले, कोयला ब्लॉकों के लिए कंपनियों द्वारा आवेदन किया जाता था और एक अंतर–मंत्रालयी समिति द्वारा जांच के पश्चात् उन्हें खानों के अधिकार प्रदान कर दिए जाते थे।
- वाणिज्यिक **कोयला खनन से कोयला उत्पादन में वृद्धि, उसके आयात में कमी, दक्षता में सुधार, विदेशी निवेश को आकर्षित करना आदि की अपेक्षा** की जाती है।
  - वाणिज्यिक खनन **किसी भी अंतिम उपयोग प्रतिबंधों को लागू किए बिना निजी क्षेत्र को व्यावसायिक रूप से कोयला खनन करने की अनुमति प्रदान करता है।** अर्थात् निजी कंपनियों द्वारा अपने स्वयं के अंतिम उपयोग वाले संयंत्रों में इसका उपयोग किया जा सकता है या उन्हें बाजारों में बेचा जा सकता है।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने कोरोना वायरस महामारी के दौरान मानसिक अस्वस्थता के प्रबंधन हेतु दिशा–निर्देश जारी किए

- कोरोना वायरस से संपर्क (संक्रमण) के जोखिम को कम करने और सुभेद्य रोगियों को मानसिक विकारों से तथा अग्रिम पंक्ति के स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (frontline healthcare workers) को संक्रमित होने से सुरक्षा प्रदान करने के लिए ये दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं।
- इस महामारी के दौरान **कम से कम तीन समूह, मानसिक स्वास्थ्य चिंताओं से प्रभावित रहे हैं:**
  - वे रोगी, जिनमें कोविड–19 संक्रमण की पुष्टि हुई है तथा उनमें मानसिक स्वास्थ्य समस्याएं विकसित हो रही हैं।
  - मानसिक विकारों से पहले से पीड़ित रोगी।
  - सामान्य–जन द्वारा सामना की जाने वाली मानसिक स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं।
- **दिशा–निर्देश:**
  - एक मानसिक स्वास्थ्य प्रतिष्ठान और निकटवर्ती कोविड हेतु नामित अस्पताल के मध्य **हॉटलाइन स्थापित करना,** ताकि दोनों केंद्रों के मध्य पीड़ितों या उनसे संबद्ध स्वास्थ्य समस्याओं की जानकारी को सरलतापूर्वक स्थानांतरित किया जा सके।
  - **स्वास्थ्य देखभाल कर्मचारियों के प्रबंधकीय पहलुओं,** जैसे– नियमित हाथ धोने, अपशिष्ट का निपटान, प्रतिष्ठान की सैनिटाइजिंग आदि के प्रशिक्षण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए।
  - **प्राधिकरणों द्वारा एक नोडल अधिकारी नामित किया जाना चाहिए** और उसे समय–समय पर इन दिशा–निर्देशों की समीक्षा व इन्हें अद्यतित (अपडेट) करने तथा मानसिक स्वास्थ्य पेशेवरों के साथ साझा करने का कार्य सौंपा जाना चाहिए।
- **प्रमुख चुनौतियां:**
  - उन्माद (सनक) और तीव्र मनोविकार के सक्रिय लक्षणों वाले रोगियों को **आइसोलेट/क्वारंटाइन करने में कठिनाई।**
  - वर्तमान में, भारत अपने **स्वास्थ्य बजट का केवल 0.06% ही मानसिक–स्वास्थ्य** पर व्यय करता है।
  - बीमा कंपनियां उन लोगों को चिकित्सा बीमा प्रदान नहीं करती हैं, **जो मानसिक रोगों के अस्पतालों में भर्ती हैं।**
  - **भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर केवल 3 मनोचिकित्सक** ही उपलब्ध हैं।

पाकिस्तान ने गिलगित–बाल्टिस्तान को अस्थायी तौर पर प्रांतीय दर्जा प्रदान किया

- पाकिस्तान ने गिलगित–बाल्टिस्तान को सभी संवैधानिक अधिकारों के साथ पूर्ण विकसित प्रांत का दर्जा प्रदान करने की घोषणा की है।
  - **गिलगित–बाल्टिस्तान जम्मू और कश्मीर की पूर्ववर्ती रियासत का एक हिस्सा था,** परन्तु 4 नवंबर, 1947 को कबीलाई आतंकियों (tribal militias) और पाकिस्तानी सेना द्वारा कश्मीर पर आक्रमण के उपरांत से यह पाकिस्तान के नियंत्रण में है।
  - वर्ष 2018 में, **गिलगित–बाल्टिस्तान आदेश पारित किया गया था, जिसका उद्देश्य गिलगित–बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के पांचवें प्रांत के रूप में शामिल करना था** और विधायी, न्यायिक एवं प्रशासनिक उपायों द्वारा गिलगित–बाल्टिस्तान को पाकिस्तान के शेष संघीय ढांचे के साथ एकीकृत करना था।
    - ❖ वर्ष 1949 से इसे पाकिस्तान की संघीय सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में रखा गया है।
  - **बलूचिस्तान, खैबर–पख्तूनख्वा, पंजाब और सिंध पाकिस्तान के अन्य चार प्रांत हैं।**
- भारत ने पाकिस्तान को स्पष्ट रूप से अवगत कराया है कि **सम्पूर्ण जम्मू–कश्मीर और लद्दाख संघ शासित प्रदेश (जिसमें गिलगित–बाल्टिस्तान के क्षेत्र भी शामिल हैं)** भारत के अभिन्न अंग हैं। साथ ही, भारत ने पाकिस्तान **को गिलगित–बाल्टिस्तान के भारतीय क्षेत्र को तुरंत खाली** करने को भी कहा है।
- **गिलगित–बाल्टिस्तान का महत्व:**
  - गिलगित–बाल्टिस्तान **भारतीय उपमहाद्वीप, मध्य एशिया और चीन तीनों के त्रिसंगम स्थल पर स्थित है।**
  - **चीन–पाकिस्तान आर्थिक गलियारा** गिलगित–बाल्टिस्तान से होकर गुजरता है।
  - **सियाचिन ग्लेशियर** जैसे महत्वपूर्ण ग्लेशियर गिलगित–बाल्टिस्तान में ही स्थित हैं। **सिंधु नदी की जलविद्युत क्षमता** गिलगित–बाल्टिस्तान को ऊर्जा सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण बनाती है।

ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस (AITUC) की स्थापना के 100 वर्ष पूर्ण हुए

- **AITUC का गठन वर्ष 1920 में, लाला लाजपत राय, नारायण मल्हार जोशी, जोसेफ बैप्टिस्टा, दीवान चमन लाल** आदि नेताओं द्वारा किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्र संघ (League of Nations) के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन (ILO) में भारत का प्रतिनिधित्व करना था।
  - लाला लाजपत राय, AITUC के प्रथम अध्यक्ष और दीवान चमन लाल प्रथम महासचिव के रूप में चयनित हुए थे।
  - **कांग्रेस के गया अधिवेशन (वर्ष 1922) में AITUC के गठन का स्वागत किया** गया था और इसकी सहायता के लिए एक समिति का भी गठन किया गया था।
  - कालांतर में, AITUC का वर्ष 1929 में नेशनल ट्रेड यूनियन फेडरेशन (NTUF) तथा वर्ष 1931 में रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस (RTUC) के निर्माण हेतु विभाजन कर दिया गया था।
- भारत में, **श्रमिक आंदोलनों की शुरुआत वर्ष 1877 में नागपुर में एम्प्रेस मिल्स में प्रथम हड़ताल के साथ हुई थी।** इस आंदोलन के पश्चात् वर्ष 1881 में कारखाना अधिनियम लागू किया गया था।
  - एन. एम. लोखंडे के नेतृत्व में वर्ष 1890 में गठित **बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन प्रथम श्रमिक संगठन था।**
  - भारत में प्रथम पंजीकृत संगठित ट्रेड यूनियन **"मद्रास लेबर यूनियन"** थी। इसका गठन बी. पी. वाडिया द्वारा वर्ष 1918 में किया गया था।
- वर्ष 1920 में, अनसूया बेन साराभाई द्वारा **अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन** की स्थापना की गई थी, जो भारत में महिलाओं के श्रमिक आंदोलन की अग्रदूत थीं।

> **श्रमिक संघ या ट्रेड यूनियन** संबंधित क्षेत्रों के श्रमिकों द्वारा गठित संगठन हैं, जो अपने सदस्यों के साझा हितों (जैसे कि वेतन संबंधी निष्पक्षता, कार्य के घंटे आदि) के लिए कार्य करते हैं तथा इस प्रकार, वे **प्रबंधन और श्रमिकों के मध्य एक सम्पर्क प्रदान करते हैं।**

अन्य सुर्खियाँ

रणनीतिक नीति और सुविधा ब्यूरो (Strategic Policy & Facilitation Bureau:SPFB)	○ यह आयुष क्षेत्र के **योजनाबद्ध और व्यवस्थित** विकास को सुविधाजनक बनाने के लिए **आयुष मंत्रालय और इन्वेस्ट इंडिया की एक संयुक्त पहल** है। ○ **SPFB की गतिविधियों में शामिल हैं:** ➢ ज्ञान सृजन एवं प्रबंधन। ➢ सामरिक और नीति–निर्माण सहायता। ➢ एक समान दिशा–निर्देश/नियम बनाने के लिए राज्य नीति द्वारा मानक तय करना। निवेश सुविधा। ○ इस ब्यूरो के कुछ विशिष्ट कार्यों में अंतर–मंत्रालयी समूहों के लिए परियोजना निगरानी, कौशल विकास पहल, रणनीतिक आसूचना अनुसंधान इकाई की स्थापना और एक नवाचार कार्यक्रम आरंभ करना शामिल हैं।
ग्रामीण विकास निधि (Rural Development Fund: RDF)	○ हाल ही में, केंद्र ने **पंजाब के ग्रामीण विकास शुल्क** पर रोक लगा दी है। ○ RDF, पंजाब ग्रामीण विकास अधिनियम, 1987 (Rural Development Fund Act, 1987) के अंतर्गत **कृषि उपज की खरीद या बिक्री पर आरोपित किया जाने वाला 3% उपकर है।** ○ मुख्य रूप से केंद्र सरकार की खरीद एजेंसी, **भारतीय खाद्य निगम (FCI)** को इस उपकर का भुगतान करना पड़ता है। ज्ञातव्य है कि FCI भारत सरकार की ओर **से प्रत्येक वर्ष गेहूं और धान** का क्रय करती है। ○ इस निधि को मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में पंजाब ग्रामीण विकास बोर्ड द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। ○ इस निधि का उपयोग मंडियों के भीतर और बाहर **ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण एवं रखरखाव** के लिए किया जाना अपेक्षित होता है।
राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग ने (NMC) वार्षिक MBBS प्रवेश विनियमों के लिए न्यूनतम अर्हताएं अधिसूचित की {National Medical Commission (NMC) notifies Minimum Requirements for Annual MBBS Admissions Regulations}	○ **इन विनियमों की प्रमुख विशेषताएं:** ➢ उपलब्ध संसाधनों के उपयोग तथा आधुनिक शैक्षिक प्रौद्योगिकी के प्रयोग आदि में **अनुकूलन और लचीलेपन की अनुमति प्रदान करना।** ➢ छात्रों के प्रशिक्षण के लिए एक भलीभांति सुसज्जित **कौशल प्रयोगशाला (Skills Laboratory)** की स्थापना। ➢ नए चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना के लिए आवेदन के समय कम से कम दो वर्षों हेतु **पूर्णतया कार्यात्मक 300 बिस्तर वाले मल्टी–स्पेशियलिटी अस्पताल** की उपलब्धता को अनिवार्य बनाया गया है। ○ ये विनियमन **उन सभी नए चिकित्सा महाविद्यालयों पर लागू होंगे,** जो स्थापना के लिए प्रस्तावित हैं। साथ ही, ये उन स्थापित चिकित्सा महाविद्यालयों पर भी प्रवर्तनीय होंगे, जो वार्षिक MBBS प्रवेशों में वृद्धि करने का प्रस्ताव प्रस्तुत कर रहे हैं। ○ राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग को **राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2019 {National Medical Commission Act (NMC Act), 2019}** के तहत स्थापित किया गया है।
विश्व बैंक की प्रवासन और विकास संक्षिप्तकी (World Bank's Migration and Development Brief)	○ यह संक्षिप्तकी **प्रवासन और विप्रेषण (remittance) प्रवाह** तथा संबंधित नीतियों के क्षेत्र में संपन्न **प्रमुख विकासों** पर एक अद्यतन दृष्टि प्रदान करती है। ○ **प्रमुख तथ्य:** ➢ **भारत** के लिए **विप्रेषण इस वर्ष 9% तक कम होकर 76 बिलियन अमेरिकी डॉलर** हो जाएगा। ➢ **भारत के उपरांत चीन, मैक्सिको, फिलीपींस और मिस्र वर्ष 2020 में विदेशी विप्रेषण प्राप्त करने वाले शीर्ष पांच देश हैं।** ➢ **विप्रेषण में गिरावट के कारण:** प्रवासियों के आश्रय प्रदाता देशों में कमजोर आर्थिक वृद्धि और रोजगार का निम्न स्तर, तेल की कीमतों में गिरावट तथा विप्रेषण–स्रोत देशों की मुद्राओं का अमेरिकी डॉलर की तुलना में मूल्यह्रास।
सुपर टाइफून गोनी (Super typhoon Goni)	○ हाल ही में इस चक्रवात के कारण **फिलीपींस में 7 लोगों की मृत्यु** हो गई। ○ **टाइफून** को **पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र** में एक **उष्णकटिबंधीय चक्रवात** के रूप में परिभाषित किया जाता है। ➢ टाइफून सामान्यतया पश्चिम या उत्तर दिशा की ओर गति करते हैं व पश्चिमी प्रशांत तथा पूर्वी एशिया के क्षेत्र में इनकी आवृत्ति सर्वाधिक होती है। ➢ टाइफून का मौसम आरंभिक ग्रीष्म ऋतु **से आरंभिक शरद ऋतु तक** रहता है, जो अधिकांशतः दक्षिण–पूर्व एशिया में मानसून के मौसम और पूर्वी जापान में आर्द्र मौसम के साथ प्रभावी होता है। ○ **हरिकेन** भी टाइफून की ही भांति है, जो **उत्तरी अटलांटिक अथवा मध्य या पूर्वोत्तर प्रशांत** में प्रभावी होता है।
सरदार वल्लभभाई पटेल (31 अक्टूबर 1875 – 15 दिसंबर 1950) {Sardar Vallabhbhai Patel ((31 October 1875-15 December 1950)}	○ वल्लभभाई पटेल एक **भारतीय बैरिस्टर, राजनेता और भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के एक प्रमुख नेता** थे। ○ बारदोली (वर्ष 1928) के **कृषक आंदोलन** का सफलतापूर्वक नेतृत्व करने के पश्चात् उन्हें **सरदार की उपाधि** से विभूषित किया गया था। ○ स्वतंत्रता के उपरांत के भारत में उनका सबसे बड़ा योगदान **565 रियासतों का एकीकरण और अखिल भारतीय सेवाओं का** सृजन करना था। ○ वर्ष 1991 में उन्हें **मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था।** ○ प्रत्येक वर्ष **31 अक्टूबर** का दिन उनकी जयंती के स्मरणार्थ राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है।
देश की प्रथम जलविमान (सी–प्लेन) सेवा (Country's first seaplane service)	○ प्रधान मंत्री ने गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के निकट **स्टैच्यू ऑफ यूनिटी** और अहमदाबाद में **साबरमती रिवरफ्रंट** के मध्य देश की प्रथम जलविमान सेवा को प्रारंभ किया। ○ **ट्विन ओटर 300 (Twin Otter 300)** सी–प्लेन का संचालन **स्पाइसजेट** द्वारा किया जा रहा है।